कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली

न्यूकलेक्टोरेटभवन, कक्ष क्र0 221/226 जिला–मुंगेली (छ0ग0)
फोन नं0–07755-264122 ईमेल–actdmungeli@gmail.com

क्रमांक/च.श्रे.स्था./2023–24/ 1039 /मुंगेली, दिनांक 12/5/2023

: : प्रेस विज्ञप्ति : :

जिला मुंगेली अंतर्गत संचालित कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास विभाग) मुंगेली मे चतुर्थ श्रेणी पदो के भर्ती के संबंध मे

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र क्रं./सा.स्था.3/भर्ती–24/2023/1096 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08.05.2023 से कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मुंगेली मे चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य के पदो को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारो से दिनांक **29.05.2023 कार्यालयीन समय** तक निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सीधी भर्ती के प्राप्त अनुमति अनुसार 03 रिक्त पदो का आरक्षण नियम अनुरूप विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	पदनाम	वर्ग	मुक्त	योग्य
1	2	3	4	7
1	चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य	अनारक्षित	01	01
		अ.ज.जा.	01	01
		अ.जा.	01	01
		योग :–	03	03

चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य पद के लिए आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें :–

1. **वेतनमान :–** नियमित भृत्य स्थापना के अंतर्गत वेतनमान रू0 15600–49400 लेवल–1 के अंतर्गत 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि मे रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि मे निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :–
   - प्रथम वर्ष–उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   - द्वितीय वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   - तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि मे स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगें। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

2. **शैक्षणिक योग्यताऐ :–** चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य स्थापना पद हेतु छ0ग0शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 5वी) उत्तर्णी हो, यदि अभ्यार्थी **पांचवी कक्षा** मे जनरल प्रमोशन से उत्तीर्ण हो तो जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा अभिप्रमाणित **पांचवी कक्षा** के आंतरिक मुल्यांकन की सूचि अनिवार्यतः जमा करना होगा उक्त अंक तालिका प्राप्त नही होने पर आवेदन अमान्य कर दी जावेगी। प्राप्तांक के आधार पर गणना की जावेगी।
3. **आयु :–** 1. आवेदक/आवेदिका की आयु **दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष** की होनी चाहिये आयु सीमा के संबंध मे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश ही लागू होगें।

क्रमशः......02.........

2. यदि आवेदक छ0ग0शासन द्वारा अधिसूचित **अनुसूचित जाति/जन जाति** हो कर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चत्तर आयु सीमा मे 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इन आवेदको को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओ को नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) 1997 के नियम 04 के उपबंधो के अनुसार महिला अभ्यर्थी को उच्चतर आयु सीमा मे अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट होगी।

4. ऐसे आवेदक जो छटनी किये गये सरकारी सेवक हो। अपनी आयु मे से उसके द्वारा पूर्व मे की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओ का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक ना हो। छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है– जो इस राजय अर्थात् छ.ग.राज्य (या किसी भी संगठक ईकाई की अस्थायी सेवा मे लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय मे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा मे नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।)

5. ऐसे आवेदक जो भूत पूर्व सैनिक हो अपने आयु मे से इसके द्वारा पहले से कि गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने कि अनुमति दी जावेगी, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

6. स्वयं सेवी नगर सैनिको एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले मे उच्चत्तर आयु सीमा मे उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा को उतने कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा के अध्ययाधीन रहते हुये की जावेगी, किन्तु किभी भी दशा मे उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

7. विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओ के लिए उच्चत्तर आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

8. विकलांग आवेदको को उच्चत्तर आयु सीमा मे 10 वर्ष की छूट दी जावेगी।

9. कैलेण्डर वर्ष 2023 मे की जा रही भर्ती के अंतर्गत छ0ग0के स्थानीय निवासियों के अभ्यार्थियो को 05 वर्ष की छूट केवल एक बार के लिए देय होगी।

10. किसी भी उम्मीदार को उपरोक्तानुसार किसभी भी आधार पर एक या एक से अधिक आधारपर छूट को लाभ दिये जाने के बावजूद भी शासकीय सेवा मे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

4. **कैडर एवं आरक्षण :–** चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य स्थापना कर्मचारी का कैडर जिला स्तरीय होगा। आरक्षण का निर्धारण भी जिला स्तरीय होगा। विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। किसी श्रेणी के उपयुक्त महिला अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा मे उस श्रेणी के पद पुरूष अभ्यार्थी से भरे जावेगें।

2. जारी विज्ञापन के रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

क्रमशः......03.........

5. **रोजगार कार्यालय पंजीयन :–** अभ्यार्थी का रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना चाहिए।

6. अभ्यार्थी को छ0ग0राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी संवंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

7. आवेदक द्वारा लिफाफे मे आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट अक्षरो मे लिखा होना चाहिए।

8. अभ्यार्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

9. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाया जाता है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

10. **चयन प्रक्रिया :–**

1. **आवेदन पत्रो की प्राप्ति :–** अभ्यार्थी का निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाण पत्रो की सत्यापित छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि समय सायं 5.00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मुंगेली कक्ष क्रं. 221/226 मे पंजीयन डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें। अपूर्ण एवं निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नही होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा। जिसमे किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जावेगी। आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यार्थी को फोटो स्वप्रमाणित कर संलग्न किया जावे।
2. **आवेदन पत्रो का परीक्षण :–** प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं मूल्यांकन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के सदस्यो का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा आवेदन पत्रो के परीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात् वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची का प्रकाशन पश्चात् कार्यालय के सूचना पटल मे चस्पा किया जावेगा। इस पर दावे आपत्ति 10 दिनो मे प्राप्त किये जावेगें। प्राप्त दावे/आपत्ति का परीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा तथा अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(ब) चयन हेतु निम्नलिखित अंक होगा :– शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरियता निर्धारण कर नियुक्ति की जावेगी।

11. चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य स्थापना के कार्य/दायित्व :– चतुर्थ श्रेणी भृत्य का मुख्य कार्य कार्यालय मे साफ–सफाई करना एवं व्यवस्था बनाए रखना है एवं इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशो का पालन करना होगा।

12. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि यह विज्ञापन मे दिये गये निर्देशो तथा आवेदन पत्र की सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र मे कोई जानकारी अपूर्णता अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि या अपूर्ण आधार पर प्राप्त आवेदन को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्ध सेवा समाप्ति/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः......04.........

13. इस संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा–4,5 एवं 6 निम्नानुसार है :–

4. **We therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.**

5. **However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.**

6. **All appointment and promotion orders shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.**

15. यह नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया मे माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रं. / 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

कलेक्टर
जिला–मुंगेली (छ0ग0)

पृ. क्रमांक / च.श्रे.स्था. / 2023–24 / 1040 / मुंगेली, दिनांक 12 / 5 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
5. जिला रोजगार अधिकारी जिला मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–मुंगेली (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

चतुर्थ श्रेणी नियमति मृत्य पद हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर,
आदिवासी विकास (न्यू कलेक्टोरेट
भवन कक्ष क्रं.221/226) मुंगेली (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :- ....
2. आवेदक का नाम :- ....
3. पिता/पति का नाम :- ....
4. जन्म तिथि (अंको मे) :- दिनांक..................माह..............वर्ष...............
5. आयु (01.01.2023) को :- वर्ष....................माह.................दिन..................
6. जन्म स्थान :- ....
7. (अ) स्थायी पता :- ....

....

(ब) वर्तमान पता :- ....

(पत्र व्यवहार हेतु) ....

....

8. राष्ट्रीयता :- ....
9. जाति/वर्ग :- ....

(अनु.जा./अनु.ज.जा./अनारक्षित)
जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत है :- (आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करे।)

10. शैक्षणिक अर्हता (पद के न्यूनतम योग्यता से शुरू करें।)

क्रं.	बोर्ड/संस्था का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

11. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण (यदि हो) :– .... :– ....

12. (क) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :– ....

(ख) रोजगार कार्यालय का नाम :– ....

13. क्या आप विकलांक है :– हॉ/नही (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है :– हॉ/नही (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

15. क्या आप छ0ग0के निवासी है :– हॉ/नही (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

16. संलग्नको की सूची :–

01 .... 02 ....
03 .... 04 ....
05 .... 06 ....
07 .... 08 ....
09 .... 10 ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)
पूरा नाम–..
पत्र व्यवहार का पूरा पता..............
....

::–घोषणा पत्र–::

मै..घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र मे दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है, कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिए मुरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

स्थान :– ....

दिनांक :–..................

पूरा नाम–..
पत्र व्यवहार का पूरा पता..............
....

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी – वेकेंसी का सबसे भरोसेमंद वेबसाइट

गूगल में सर्च करें – माय वेकेंसी डॉट नेट **(MyVacancy.net)**

MyVacancy.net

School / College - Admission / Course / Training / Exam/ Result

व्हाट्सअप + टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज करें **9303233188**

डायरेक्ट वेबसाइट में जाने के लिए इस पेज में कहीं भी क्लिक करें